INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 8, August 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

रेल्वे का निर्माणाधीन भवन और पर्यावरण संरक्षण

PROTECTION OF ENVIRONENT IN REFERENCE TO A CONSTRUCTION IN THE BILASPUR RAILWAY ZONE

[1]Vaibhav Kartikeya Agrawal

[1]Advocate, Hidayatullah National Law University (LL.M.) , Bilaspur Chhattisgarh (India)

ABSTRACT:

Development must give way to protection of environment. This is the soul of the canon of statutes on environment protection. Railways proposed a construction plan for development of passenger facilities, etc in Bilaspur Railway Zone in the Bilaspur city of Chhattisgarh. In reference to the construction plan, newspapers declare a proposal to cut some 100 or more trees. This paper provides a glimpse of rules on environment protection prevalent in cases of deforestation of trees in human dwellings, lease hold area and public spaces. The paper describes the concerns of the Hon'ble Supreme Court over compensatory afforestation and urges the public authorities to utilize trees (old and dense) standing in the public ways for example, like road divider, to install sign boards or to decorate the premises with usage of the trunk of these trees. The paper emphasises on precedence of eco-centric value in comparison to the anthropocentrism.

KEY WORDS: Deforestation; Environment Protection; Trees; Public spaces.

रेल्वे का निर्माणाधीन भवन और पर्यावरण संरक्षण

बिलासपुर रेल्वे स्टेशन रेल्वे का बड़ा जंक्शन है, जहाँ से देश भर के लिए यात्रा सुविधाएँ उपलब्ध है। रेल्वे क्षेत्र रेल्वे मंत्रालय द्वारा शासित अलग इकाई है, जिस पर नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। रेल्वे स्टेशन के टिकट काउंटर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। लेकिन इसके साथ ही दैनिक भास्कर में जनवरी 2025 में छपे लेख के अनुसार करीब 100 वृक्षों को काटने के लिए चिह्नांकित किया गया है। क्या इतनी संख्या में सभी वृक्षों को काटना आवश्यक है ?

पर्यावरण संरक्षण और विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें यथोचित सामंजस्य आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय करती है। कानूनी नियमों के अनुसार प्रति वृक्ष 10 अतिरिक्त वृक्षों के वृक्षारोपण पर ही वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदाय है। यह विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण करने के प्रति जागरूक करने का तरीका है परन्तु कानूनी इम्प्लीमेंटेशन अलग डिविजन है। सन् 1992 के रियो डि जेनिरो के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'प्रिकाश्नरी प्रिंसिपल' का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसके अनुसार, ''रुपए के मूल्य के व्यय के कारण किसी भी तरह के वैज्ञानिक प्रयोगों और प्राकृतिक संवर्धन के कार्यों को स्थगित नहीं किया जाएगा एवं रुपए के मूल्य के खर्च होने के बावजूद पर्यावरण

संरक्षण संबंधी उपायों को प्राथमिकता प्रदान किया जायेगा।''[1] इस सिध्दांत के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण को विकास कार्यों की जगह महत्व देने का निर्णय पारित किया। [2]

भारत के लोकल लॉ जैसे कि छत्तीसगढ़ भू–राजस्व अधिनियम 1959, छत्तीसगढ नगर पालिका अधिनियम 1956, छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 आदि में वृक्षारोपण एवं वृक्षों को काटने पर शासित अनुरोपण संबंधी प्रावधान विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत के प्रतिबद्ध भागीदार होने के कारण भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेष स्थापना सन 1985 में की गयी है। इसी कारण आम आदमी को अपने खेत में या बगीचे में आम, पीपल, बरगद, नीम आदि के इमारती लकड़ी वाले वृक्ष काटने के लिए भी वन विभाग से अनुमति लेना पड़ता है। वास्तव में वन विभाग को निर्माणाधीन भूमि के एरिया के अनुपात में पुनः वृक्षारोपण करने पर आने वाले प्रत्याशित खर्च के रकम को जमा करने पर भवन निर्माण और वृक्ष कटाई हेतु अनुमति मिल जाता है।[3] इसके बाद वृक्षारोपण, इन वृक्षों के बाढ़ का देखरेख, वृक्षों के किस्म, आदि का जिम्मा वन विभाग का हो जाता है।[4]

एम. सी. मेहता विरूद्ध भारत संघ के 2022 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग के द्वारा करीब 5000 एकड़ भूमि पर वृक्षों के कटाई हेतु अनुमति प्रदान करने के बाद पुनः वृक्षारोपण करने के बारे में सरकारी नियमों के क्रियान्वयन संबंधी रिपोर्ट पर आश्चर्य व्यक्त किया था।[5] इसके बाद दिल्ली–आगरा नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट में करीब 300 पेड़ काटने के लिए फारेस्ट क्लियरेंस प्रदान करने संबंधित याचिका पर पेनाल्टी लगाकर वृक्षारोपण करने का आदेश पारित किया गया था।[6] माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

---

[1] United Nations, Declaration on Environment and Development (Rio de Janeiro 1992), https://www.cbd.int/doc/ref/rio-declaration.shtml.

[2] टी.एन.जी. तिरूमूलपाद बनाम भारत संघ, (2022) 10 SCC 544. Tata Housing Development Company Limited, v. Aalok Jagga, (2020) 15 SCC 784.

[3] https://www.moefcc-gcp.in/about/aboutGCP; https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Addinfo/0_0_6111512271291CAguidelines.pdf.

[4] बी.डी.ए. बनाम सुधाकर हेग्डे, (2020) 15 SCC 63; लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के अनुपातिक वृक्षारोपण को पर्यावरणीय प्रभावों के EIA (Environment Impact Assessment) का पूरक नहीं माना है।

[5] एम. सी. मेहता विरूद्ध भारत संघ, मई 08, 2015 के निर्णय में भी वृक्षों की कटाई के अनुपात में दस गुना वृक्षारोपण करने का निर्णय पारित किया गया था, https://www.casemine.com/judgement/in/58117f692713e1794791f0e0. M.C, Mehta v. Union of India, WP© 13381/ 1984, आदि। https://indiankanoon.org/doc/115910996/ .

[6] **India Today, Supreme Court pauses Mathura road and railway projects over afforestation delays (Oct. 17, 2024), https://www.indiatoday.in/india/law-news/story/supreme-court-stays-mathura-road-and-railway-projects-over-afforestation-delays-2618125-2024-10-17; Times of India, SC to Haryana: Come up with land bank for compensatory afforestation (Oct. 20, 2023), https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/sc-to-haryana-come-up-with-land-bank-for-compensatory-afforestation/articleshow/104567760.cms (last visited 04.08.2026), (पतौडी रेवरी नेश्नल हाइवे के संदर्भ में.); Hindustan Times, SC imposes hefty fines for illegal tree felling in Taj Trapezium Zone (Feb. 12, 2025), https://www.hindustantimes.com/india-news/sc-imposes-hefty-fines-for-illegal-tree-felling-in-taj-trapezium-zone-101739300730982.html** (सुप्रीम कोर्ट न 10,000 प्रति वृक्ष की दर से पेनाल्टी का आदेश दिया है।)

एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम पश्चिम बंगाल[7] राज्य में प्रतिपादित किया है कि काटने के लिए प्रस्तावित वृक्ष की रूपयों में मूल्य का आंकलन किया जाना आवश्यक है जो वृक्ष के घनत्व के संदर्भ में वृक्ष के पर्यावरणीय मूल्यों को दर्शाता है। प्रश्न यह है कि एक वृक्ष को काटने पर 10 वृक्ष या दो वृक्ष के रोपण करने मात्र से क्या पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारा दायित्व पूरा हो जाता है ?[8]

नगर निगम बिलासपुर द्वारा व्यावसायिक परिसर के नक्शा पास करने पर वृक्षों के कटाई के लिए कई बार अनुमति प्रदान नहीं किया। बाद में निर्माणकर्ता अपने भवन के सामने खड़े इन मूल्यवान वृक्षों को स्वागत द्वार के रूप में उपयोग में ले आये और ये वृक्ष इन भवनों के सुंदरता में भी चार चांद लगा रहे हैं। नगर निगम द्वारा रोड चौड़ीकरण के समय नया रायपुर को जोड़ने वाले एयरपोर्ट रोड में खड़े सभी वृक्षों को रोड डिवाईडर के रूप में संरक्षित किया। इसी प्रकार यदि रेल्वे प्रशासन भी अपने निर्माणाधीन भवन के इर्द–गिर्द खड़े इमारती लकड़ी के वृक्षों और फलदार वृक्षों को काटने की बजाये जरूरत के मुताबिक निर्देशित करते हुए काटने की अनुमति प्रदान करे तो यह जमीनी हकीकत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति महत्वपूर्ण कदम होगा। निर्माणाधीन भवन के बाउण्ड्रीवाल के पास, लॉन हेतु प्रस्तावित जमीन पर, ओपन एरिया में, यात्री प्रतीक्षालय, वाहन स्टैण्ड आदि पर खड़े वृक्षों को चिह्नांकित कर संरक्षित किया जा सकता है। यह कदम आम आदमी को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाये रखेगा।

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

7

8 https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/public_display/schemes/88913625$Clarification%20on%20Compensatory%20afforestation.pdf (last visited 04.08.2026), https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Addinfo/0_0_6111512271291CAguidelines.pdf, https://www.wrm.org.uy//wp-content/uploads/2019/09/WRM-Compensatory-Afforesation-in-India-2019.pdf (last visited 04.08.2026), https://ies.gov.in/arthapedia/concept/compensatory-afforestation .